

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं खगड़िया ।

पटना, दिनांक :-

30-10-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230017890102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3175 दिनांक-07.06.17 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	37-अनुग्रह अनुदान के तहत विषयशीर्ष 0102.37.01 अनुग्रह अनुदान से श्रम अधीक्षक समस्तीपुर एवं खगड़िया के क्रमशः पत्रांक-617 एवं 566, क्रमशः दिनांक-3.7.17 एवं 1.9.17 के आलोक में राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से विमुक्त अनुसूचित जाति श्रेणी के 05 बंधुआ मजदूरों के लिए	21-सामग्री और आपूर्ति के तहत विषयशीर्ष 0102.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ से श्रम अधीक्षक समस्तीपुर एवं खगड़िया के क्रमशः पत्रांक-617 एवं 566, क्रमशः दिनांक-3.7.17 एवं 1.9.17 के आलोक में ₹. 1500/- 30 दिन के राशन एवं ₹. 500/- भोजन नास्ता, वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर की दर से विमुक्त अनुसूचित जाति श्रेणी के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए	कुल आवंटित राशि कॉलम (3+4)
1	2	3	4	5
समस्तीपुर	03	30000	4000	34000
खगड़िया	02	20000	4000	24000
कुल योग	05	50000	8000	58000

कुल आवंटित राशि ₹ 58,000/- (₹ अनठावन हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- यह आवंटित राशि दिनांक-17.05.2016 से लागू Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए है।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर एवं उन्हीं विमुक्त बंधुआ मजदूरों को प्रदान की जाय जिन्हें इस योजना के तहत पूर्व में लाभांशित नहीं किया गया हो ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-309/17 श्र0सं0:-

82 पटना, दिनांक 30-10-17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30/10/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/17 श्र0सं0

82

पटना, दिनांक

30-10-17

\*स्पीड  
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ \*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-346 एवं 338 (श्रमपक्ष) क्रमशः दिनांक-25.9.17 एवं 18.09.17 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/प्रशाखा-6, बजट शाखा, (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय प्रतिवेदन का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-1(श्रम पक्ष) द्वारा किया जायेगा।

30/10/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-309/17 श्र0सं0-

82

पटना, दिनांक

30-10-17

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/10/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।